



Neutral Citation
2021:CGHC:6176

1

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका सेवा मामले 654/2021

श्रीमती विद्या अनंत पत्नी श्री देवेन्द्र लहरे, आयु लगभग 36 वर्ष (एसबीआई के अंतर्गत मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल - II), निवासी क्वार्टर क्रमांक बी-1279, कृष्णा विहार, एन.टी.पी.सी. कॉलोनी, जमनीपाली, कोरबा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़

.....याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. सहायक महाप्रबंधक (पी पी जी), स्थानीय प्रधान कार्यालय, भोपाल, (मध्य प्रदेश), जिला: भोपाल, मध्य प्रदेश
2. उप महाप्रबंधक (बी एंड ओ) भारतीय स्टेट बैंक, मानव संसाधन अनुभाग, प्रशासनिक कार्यालय, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़
3. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, एस.के. वर्मा मार्ग शाखा, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

.....उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के लिए

– श्री रूप नाइक, अधिवक्ता

उत्तरदाता बैंक के लिए

– श्री पी.आर. पाटणकर, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. सैम कोशी

बोर्ड पर आदेश

09/03/2021



Neutral Citation
2021:CGHC:6176

2

1. वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी दिनांक 30.09.2019 के इस्तीफे की स्वीकृति को चुनौती देते हुए दायर की गई है।
2. रिट याचिका के निपटारे के लिए प्रासंगिक मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को मार्च, 2008 में प्रतिवादियों के अधीन क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे चलकर याचिकाकर्ता को 20.12.2010 से जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल- I के पद पर पदोन्नत किया गया और उसके बाद 08.06.2015 से फिर से मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल- II के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता को सिटी ब्रांच, जिला कोरबा में शाखा प्रबंधक के रूप में पदस्थ किया गया था, जहां से उसे बिलासपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता काम के दबाव को नहीं झेल पा रही थी और घर पर कुछ व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना कर रही थी, इसलिए याचिकाकर्ता ने 03.06.2019 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त पत्र में उसने कहा था कि व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण याचिकाकर्ता अपनी नौकरी जारी रखने में इच्छुक नहीं थी और इसलिए उसने चार महीने की नोटिस अवधि देते हुए सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था।
3. याचिकाकर्ता बिलासपुर में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रही, जब विभाग ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया और 30.09.2019 को अनुलग्नक पी-1 को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/इस्तीफे के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को 3-10-19 से स्वीकार कर लिया गया। इस्तीफे की स्वीकृति का पत्र संबंधित शाखा को ईमेल द्वारा भेजा गया था, जहां से शाखा प्रबंधक ने याचिकाकर्ता को 09.10.2019 के पत्राचार के माध्यम से प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा उसे सूचित किया गया था कि उसका इस्तीफा 03.10.2019 से स्वीकार कर लिया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त आवेदन भी विधिवत प्राप्त



किया गया था और याचिकाकर्ता को प्रतिवादी बैंक की सेवा से हटा दिया गया था।

4. इसके बाद 11.10.2019 को पहली बार याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी बैंक के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि वह अपनी नौकरी जारी रखने की इच्छुक है।
5. याचिकाकर्ता द्वारा उक्त आवेदन में उठाए गए आधार यह थे कि चूंकि उनके द्वारा दिया गया इस्तीफा आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था और 03.10.2019 तक याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया गया था, इसलिए वह इस्तीफे के लिए उस आवेदन पर आगे दबाव नहीं डालना चाहती हैं और नौकरी में निरंतरता के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी बैंक के साथ उन्हीं आधारों पर कुछ और पत्राचार किए गए और संबंधित अधिकारियों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।
6. याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 03.10.2019 के अनुलग्नक पी-5 को पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि उसका आवेदन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग कर रहा था और उसका कभी भी सेवा से इस्तीफा देने का इरादा नहीं था और न ही आवेदन में इस्तीफा शब्द का उल्लेख है, इसलिए इस्तीफे को स्वीकार करना अवैध और कानून की दृष्टि से गलत है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया दूसरा आधार यह है कि प्रतिवादी बैंक को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों के तहत इस्तीफे के लिए नोटिस की न्यूनतम अवधि तीन महीने है और चूंकि याचिकाकर्ता ने तकनीकी रूप से चार महीने का नोटिस दिया था, इसलिए आवेदन अनुरक्षणीय नहीं था और प्रतिवादी बैंक द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क था कि चूंकि उसका अनुरोध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए था, इसलिए बैंक के पास योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकार करने का विकल्प था।



7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस संदर्भ में मामले को आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि त्यागपत्र और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में पर्याप्त अंतर है तथा प्रतिवादी बैंक के पास यह मानने का अधिकार नहीं था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन त्यागपत्र है, इसलिए प्रतिवादी बैंक की यह धारणा और आवेदन को त्यागपत्र मानकर त्यागपत्र स्वीकार करना अनुचित और अवैध है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में **सहायक महाप्रबंधक एवं अन्य बनाम राधेश्याम पांडे, 2020 6 एससीसी 438** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने **आशा राम सूर्यवंशी बनाम छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक एवं अन्य के मामले में डब्ल्यूपीएस 1692/2011** में 26.06.2020 को दिए गए इस न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया।

8. इसके विपरीत, याचिका का विरोध करने वाले प्रतिवादी बैंक के विद्वान वकील ने कहा कि यह सच है कि याचिकाकर्ता ने चार महीने का नोटिस देते हुए एक आवेदन दिया था, जिसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन बताया गया था। हालांकि, यह उक्त पत्र की मंशा और विषय-वस्तु थी, जिस पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि दावा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए था या त्यागपत्र के लिए। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में ही बहुत स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है कि चूंकि उसे कोरबा में रहने वाली अपनी बेटी और मां तथा कोरबा में गैर-हस्तांतरणीय सेवारत अपने पति की देखभाल करनी है, इसलिए उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के लिए आवेदन दिया था, जिसका अपने आप में अर्थ है कि वह सेवा से त्यागपत्र देना चाहती थी। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने आगे उस विशिष्ट प्रारूप में आवेदन का उल्लेख किया, जिसे याचिकाकर्ता ने 03.06.2019 को प्रस्तुत किया था, जहां याचिकाकर्ता ने बैंक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र का उल्लेख करते हुए आवेदन भेजा था, जो भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह सेवा से त्यागपत्र देना चाहती थी।



9. प्रतिवादी बैंक के वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदन के साथ संलग्न प्रारूप में याचिकाकर्ता द्वारा सादे कागज पर लिखा गया त्यागपत्र भी था, जिसमें उक्त आवेदन प्रस्तुत करने के कारण बताए गए थे।
10. प्रतिवादी बैंक के वकील ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता विशेष रूप से 13.09.2019 को व्यक्तिगत परामर्श के लिए बुलाए गए क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों के अनुसार थी और परामर्श के दौरान याचिकाकर्ता प्रतिवादी बैंक की सेवा से इस्तीफा देने के अपने दावे पर अड़ी रही। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए आवेदन की सामग्री पर विचार करते हुए यह स्पष्ट था कि इस्तीफे की स्वीकृति के बाद, याचिकाकर्ता पलटकर यह आरोप नहीं लगा सकती थी कि उसका कभी इस्तीफा देने का इरादा नहीं था और उसका आवेदन केवल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए था।
11. इस समय याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों के साथ किए गए विभिन्न पत्राचारों की विषय-वस्तु पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे प्रमुख अनुलग्नक पी-5 दिनांक 03.06.2019 है जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन है और साथ ही उक्त आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक प्रोफार्मा भी है। तत्पर संदर्भ के लिए जिसका संदर्भ नीचे दिया गया है:-

“विषय : बैंक की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन

मैं वर्तमान में 23.07.2018 से कोरबा सिटी शाखा, आर-2, कोरबा में शाखा प्रबंधक के रूप में पदस्थ हूँ। मेरा परिवार जैलगांव कोरबा (छत्तीसगढ़) में बस गया है। कोरबा से स्थानांतरण के कारण अपनी बेटी और माँ की देखभाल करने में असमर्थ होने के कारण और मेरे पति कोरबा स्थित बाल्को प्लांट में कार्यरत हैं, जो स्थानांतरणीय नहीं है, मैं 03 अक्टूबर 2019 से बैंक की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहती हूँ।



Neutral Citation
2021:CGHC:6176

6

कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करें।”

प्रोफार्मा-III

प्रति,
क्षेत्रीय प्रबंधक,
भारतीय स्टेट बैंक,
क्षेत्रीय व्यापार कार्यालय,
क्षेत्र-2, कोरबा(छ.ग.)-495677

प्रेषक,
विद्या अनंत,
एमएमजीएस-II
भारतीय स्टेट बैंक,
कोरबा सिटी ब्रांच कोरबा(छ.ग.)

के माध्यम से: उचित चैनल

बैंक की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/इस्तीफे के लिए आवेदन

मैं दिनांक 3 अक्टूबर 2019 को कारोबार की समाप्ति से बैंक की सेवा से अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/इस्तीफा देना चाहता हूं।

12. इस समय जिस तथ्य पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा 03.06.2019 को आवेदन किए जाने की तिथि से लेकर 30.09.2019 को इसकी स्वीकृति और 09.10.2019 को याचिकाकर्ता को उक्त स्वीकृति की तामील तक, याचिकाकर्ता ने पूरे चार महीने की अवधि के दौरान कभी भी अपने त्यागपत्र/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन वापस लेने का इरादा नहीं दिखाया। इसके विपरीत, 13.09.2019 को आयोजित काउंसलिंग से भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी बैंक की सेवा से इस्तीफा देने के अपने फैसले पर अडिग थी।
13. एक अन्य तथ्य जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह है याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 09.10.2019 को स्वीकृति पत्र दिए जाने के तुरंत बाद किए गए आवेदन अर्थात अनुलग्नक पी-9, और पी-11, जिसका प्रासंगिक हिस्सा तत्पर संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

अनुलग्नक पी-9 :



Neutral Citation
2021:CGHC:6176

7

आपके पत्र क्रमांक nil दिनांक 09.10.2019 और संलग्न आरबीओ पत्र क्रमांक BSP/RBO-1/HR/1210 दिनांक 7.10.2019 के संदर्भ में मैं आपका ध्यान निम्नलिखित रूप में आकर्षित करता हूँ:

(I) मैंने 4.10.2019 से बैंक सेवा से अपना इस्तीफा दे दिया था

(II) मुझे दिनांक 3.10.2019 तक न तो मेरे त्यागपत्र की स्वीकृति और न ही अस्वीकृति के बारे में सूचित किया गया।

(III) मेरे आवेदन को न तो स्वीकार किए जाने और न ही अस्वीकार किए जाने के कारण मैंने दिनांक 04.10.2019 से 07.10.2019 तक अपने कर्तव्यों का पालन किया।

(IV) उपरोक्त परिस्थितियों में चूंकि बैंक ने मेरे त्यागपत्र की स्वीकृति की सूचना नहीं दी है, इसलिए मैं दिनांक 4.6.2016 को बैंक सेवा से अपना त्यागपत्र वापस ले रहा हूँ।

(V) मेरे अवकाश के संबंध में आपके साथ हुई टेलीफोनिक चर्चा के अनुसार मैं दिनांक 11.10.2019 को अपने कर्तव्य पर उपस्थित हो जाऊंगा।

आपका विश्वासी
(विद्या अनंत)

अनुलग्नक पी-11:-

“वीआर एप्लीकेशन के संबंध में:-

आपके पत्र क्रमांक शून्य दिनांक 09.10.2019 एवं संलग्न आरबीओ पत्र क्रमांक बीएसपी/आरबीओ-1/एचआर/1210 दिनांक 7.10.2019 के संदर्भ में मैं आपका ध्यान इस प्रकार आकर्षित करता हूँ:-

(I) मैंने 4.10.2019 से बैंक सेवा से त्यागपत्र दे दिया था।

(II) मुझे 3.10.2019 तक न तो मेरे त्यागपत्र की स्वीकृति और न ही अस्वीकृति के बारे में सूचित किया गया।



(III) मेरे आवेदन को न तो स्वीकार किया गया और न ही अस्वीकार किया गया, जिसके कारण मैंने दिनांक 04.10.2019 से 07.10.2019 तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया।

(iv) उपरोक्त परिस्थितियों में चूंकि बैंक ने मेरे त्यागपत्र को स्वीकार करने की सूचना नहीं दी है, इसलिए मैं बैंक सेवा से दिनांक 4.6.2016 को दिया गया अपना त्यागपत्र वापस ले रहा हूँ।

विद्या अनंत
उप प्रबंधक"

14. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए उपरोक्त तीन पत्राचार स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उसने प्रतिवादी की सेवा से इस्तीफा दे दिया था और जिस आधार पर उसने इस्तीफा वापस लेने के लिए अपना आवेदन दिया था, वह संबंधित अधिकारियों द्वारा नोटिस अवधि यानी 03.10.2019 तक स्वीकार नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा कोई अन्य आधार नहीं उठाया गया या चुनौती नहीं दी गई, क्योंकि आवेदन अनुलग्नक पी-5 इस्तीफा नहीं था, बल्कि केवल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का इरादा था।

15. जहां तक इसकी सामग्री का संबंध है, पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित उपरोक्त नोटिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कोई विवाद नहीं किया है। जहां तक **सहायक महाप्रबंधक एवं अन्य बनाम राधेश्याम पांडे, 2020 (6) एससीसी 438** के मामले में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णयों का संबंध है, मामले के तथ्य और मामले में शामिल मुद्दे पूरी तरह से अलग प्रासंगिक पृष्ठभूमि में थे जहां विवाद मुख्य रूप से उन लाभों के संबंध में था जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए पात्र होंगे। उक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस्तीफे अर्थात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रश्न विवाद का विषय नहीं था, इसलिए जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, कानून के सिद्धांत या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में निर्धारित अनुपात को लागू नहीं किया जा सकता है।



16. पुनः जहां तक आशा राम सूर्यवंशी बनाम छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा 26 जून 2020 को तय किए गए निर्णय का संबंध है, वह मामला था जहां मुद्दा यह था कि 23 वर्ष से अधिक की सेवा वाले एक व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति के कगार पर था, ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक आवेदन दिया था, जिसे इस्तीफे के लिए एक आवेदन के रूप में माना गया और स्वीकार कर लिया गया और जिसे कर्मचारी ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी और जहां इस न्यायालय ने बहुत विशिष्ट शब्दों में माना था कि तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए प्रतिवादी बैंक की ओर से इस्तीफे की स्वीकृति का पत्र वर्तमान मामले के तथ्यों के विपरीत गलत था, जहां याचिकाकर्ता ने बार-बार व्यक्त किया था कि उसने इस्तीफा दे दिया था।
17. आशा राम सूर्यवंशी (सुप्रा) के मामले में दिए गए उक्त निर्णय को सरलता से पढ़ने पर यह स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होगा कि उक्त मामले में कर्मचारी द्वारा किया गया अनुरोध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में नियमों के अनुसार उचित निर्णय लेने का था। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन की विषय-वस्तु के विपरीत, जहाँ उसने बार-बार इसे त्यागपत्र के रूप में दर्शाया है और स्वीकृति की तिथि तक या यहाँ तक कि नोटिस अवधि समाप्त होने तक किसी भी समय इसे वापस नहीं लिया गया था। इस प्रकार, आशा राम सूर्यवंशी के मामले में दिया गया निर्णय भी वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होगा।
18. मोती राम बनाम परम देव एवं अन्य (1993) 2 एससीसी 725 के मामले में पैराग्राफ 16 में त्यागपत्र शब्द का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:—

16. जैसा कि इस न्यायालय ने बताया है, 'त्यागपत्र' का अर्थ है किसी के अपने अधिकार का स्वतःस्फूर्त त्याग और किसी पद के संबंध में, इसका अर्थ है पद को त्यागने या त्यागने का कार्य। यह माना गया है कि सामान्य न्यायिक अर्थ में, पूर्ण और प्रभावी त्यागपत्र के लिए पद को त्यागने या त्यागने का इरादा और उसके साथ-साथ त्यागने का कार्य होना चाहिए। यह भी देखा गया है कि त्याग का कार्य अलग-अलग रूप ले सकता है या एकतरफा



या द्विपक्षीय चरित्र धारण कर सकता है, जो पद की प्रकृति और उसे नियंत्रित करने वाली स्थितियों पर निर्भर करता है। (देखें: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम श्री गोपाल चंद्र मिश्रा और अन्य, [1978] 3 एससीआर 12 पृष्ठ 21 पर)। यदि त्याग का कार्य एकतरफा प्रकृति का है, तो यह तब प्रभावी होता है जब पद को त्यागने के इरादे को इंगित करने वाला ऐसा कार्य सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाता है। जिस अधिकारी को त्यागपत्र की सूचना दी जाती है, उसे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होती है और त्यागपत्र उस सूचना की तिथि से प्रभावी होता है, जहां त्यागपत्र का उद्देश्य वर्तमान में कार्य करना होता है। त्यागपत्र भविष्य की किसी तिथि से प्रभावी होने की संभावना भी हो सकती है और उस स्थिति में यह उसमें दर्शाई गई तिथि से प्रभावी होगा, न कि सूचना की तिथि से। ऐसे मामलों में जहां त्यागपत्र द्विपक्षीय प्रकृति का होता है, त्यागपत्र देने के इरादे की सूचना अपने आप में पद छोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगी और त्यागपत्र देने के इरादे की ऐसी सूचना पर कुछ कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि पद छोड़ने के लिए उक्त अनुरोध को स्वीकार करना और ऐसे मामले में त्यागपत्र तब तक प्रभावी या प्रभावी नहीं होता जब तक कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती। पद छोड़ने का कार्य एकतरफा है या द्विपक्षीय, यह पद की प्रकृति और उसे नियंत्रित करने वाली शर्तों पर निर्भर करेगा।

19. सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभा अत्री बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2003) 1 एससीसी 701** के मामले में पैराग्राफ 7 में त्यागपत्र की अवधि का उल्लेख करते हुए मोती राम (सुप्रा) के मामले में उपरोक्त निर्णय पर भरोसा किया है, तथा निम्नानुसार निर्णय दिया है:—

7. एकमात्र प्रश्न जिस पर मुख्य रूप से विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या दिनांक 9.1.1999 के पत्र को त्यागपत्र के रूप में समझा जा सकता है या केवल त्यागपत्र देने के इरादे की अभिव्यक्ति माना जा सकता है, यदि कथित चूक के संबंध में उसके दावों को अनुकूल रूप से नहीं देखा जाता है। अस्पताल सेवा नियमों के नियम 9 में किसी कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र देने या सेवा छोड़ने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि एक स्थायी कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में त्यागपत्र की तीन महीने की सूचना या सूचना के बदले में तीन महीने का वेतन देना आवश्यक है और उसे ऐसे नोटिस की अवधि की सेवा करने की आवश्यकता हो सकती है। उपर्युक्त का



अनुपालन न करने की स्थिति में, संबंधित कर्मचारी न केवल तीन महीने के वेतन के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, बल्कि ऐसी राशि अस्पताल के पास पड़े कर्मचारी के बकाया, यदि कोई हो, से वसूल की जा सकेगी। शब्द और वाक्यांश (स्थायी संस्करण) खंड 37 के पृष्ठ 476 पर, यह पाया जाता है कि,

"इस्तीफा देने के लिए यह बिना शर्त होना चाहिए और इस तरह से काम करने का इरादा होना चाहिए। पद के कार्यकाल के एक हिस्से को छोड़ने का इरादा होना चाहिए और साथ ही त्याग का कार्य भी होना चाहिए। यह एक औपचारिक तरीके से पद को वापस देना है।"

इसी पुस्तक के पृष्ठ 474 पर लिखा है: "क्लब के अध्यक्ष और संबंधित सचिव द्वारा यह कहना कि यदि सदस्यों के बीच निरंतर कलह बंद नहीं हुई तो वे इस्तीफा दे देंगे, उनके इस्तीफे की केवल धमकी भरी पेशकश थी, न कि निविदा।" इसमें यह भी लिखा है कि "सार्वजनिक पद से 'इस्तीफा' प्रभावी होने के लिए पद छोड़ने के इरादे से किया जाना चाहिए, साथ ही त्याग की कार्रवाई भी होनी चाहिए"। सामान्य शब्दकोश अर्थ में, 'इस्तीफा' शब्द का अर्थ किसी के अपने अधिकार का स्वतःस्फूर्त त्याग माना जाता था, जैसा कि कहावत से व्यक्त होता है: इस्तीफा एस्ट ज्यूरिस प्रोप्री स्पॉटेनिया रिफ्यूटेटियो [ब्लैक लॉ डिक्शनरी 6 वां संस्करण]। कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम में। खंड 77, पृष्ठ 311, यह लिखा हुआ पाया जाता है।

"यह कहा गया है कि 'त्यागपत्र' कानूनी कला का एक शब्द है, जिसके कानूनी अर्थ होते हैं जो कुछ कानूनी परिणामों का वर्णन करते हैं। यह विशेष रूप से, त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति द्वारा किसी पद का स्वैच्छिक समर्पण है, जो स्वतंत्र रूप से किया जाता है, न कि दबाव में और इस शब्द को आम तौर पर दावे, कब्जे या पद के रूप में त्यागपत्र देने या त्यागने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है।"

20. हाल ही में, इस न्यायालय ने एस.के. श्रीवास्तव बनाम यूको बैंक के मामले में 28.09.2019 को डब्ल्यूपीएस संख्या 1620/2012 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/इस्तीफे के मुद्दे पर बहुत स्पष्ट शब्दों में निर्णय दिया कि सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन उसके स्वीकृत होने



पर या संबंधित प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जाने की तिथि से तुरंत प्रभाव में आ जाएगा, जब तक कि कर्मचारी द्वारा उसे वापस नहीं ले लिया जाता या वापस नहीं ले लिया जाता या प्राधिकारियों द्वारा किसी पूर्व तिथि को उसे अस्वीकार नहीं कर दिया जाता, जब तक कि वह अंतिम न हो जाए।

21. **पदुबिद्री दामोदर शेनॉय बनाम इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड एवं अन्य, (2009) 10 एससीसी 514** के मामले में पैराग्राफ 33 में निम्नानुसार माना गया है:—

"33. विनियमन 12 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह इंगित करता हो कि यदि नियोक्ता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति को रोकने का निर्णय लेता है, तो स्वीकृति से इनकार करने की सूचना नोटिस की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को अवश्य दी जानी चाहिए। यह सच है कि खंड (बी) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए दिया गया तीन महीने का नोटिस वैध रहता है, भले ही नोटिस अवधि के भीतर कोई संचार प्राप्त न हो, लेकिन यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अनुमोदन पर ही प्रभावी होता है। वास्तव में, ऐसा लगता है कि यह दोनों पक्षों द्वारा समझ लिया गया है।"

22. इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने **हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम एस.के.सिंघल (1999) 4 एससीसी 293** के मामले में अनुच्छेद 18 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:—

"18. हमारे समक्ष मामले में नियम 5.32 (बी) के उप-नियम (1) में "सेवानिवृत्त होने के लिए नोटिस" की परिकल्पना की गई है, न कि सेवानिवृत्त होने की अनुमति मांगने के लिए अनुरोध की। उप-नियम द्वारा परिकल्पित आगे का "अनुरोध" केवल 3 महीने की अवधि से छूट प्राप्त करने के लिए है। उप-नियम (2) का प्रावधान एक सकारात्मक प्रावधान करता है कि "जहां नियुक्ति प्राधिकारी उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्ति के लिए अनुमति देने से इनकार नहीं करता है, सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगी। जहां तक कर्मचारी का संबंध है, हमारे समक्ष मामला दिनेश चंद्र संगमा मामले की तुलना में अधिक मजबूत आधार पर खड़ा है। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि पंजाब सिविल सेवा नियम खंड II का नियम 2.2 केवल उस व्यक्ति की पेंशन रोकने या



वापस लेने की स्थिति से संबंधित है जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है।"

23. इसी दृष्टिकोण को इस उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपीएल 7478/2007 में 22.08.2019 को दिए गए एक अन्य हालिया निर्णय में स्वीकार किया है, जिसमें उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें पैराग्राफ 15 में पूर्ववर्ती पैराग्राफ में संदर्भित उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार आयोजित किया गया था:—

15. जैसा कि मैंने पहले ही स्टाफ सर्विस रेगुलेशन, 1980 के नियम 10 का उल्लेख किया है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नियम में त्यागपत्र स्वीकार करने के किसी आदेश का प्रावधान नहीं है, इसलिए, एक महीने की नोटिस अवधि समाप्त होने पर, उसका त्यागपत्र स्वीकार हो जाता है और उक्त तिथि के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता था और विशेषकर तब जब याचिकाकर्ता को 30.09.1983 को कार्यमुक्त कर दिया गया था और वह 1 अक्टूबर, 1983 से 18 अक्टूबर, 1983 तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ था।

24. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में कहा गया है, याचिकाकर्ता ने जिन व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना किया जा रहा था, उसके कारण उसने 03.06.2019 को अपना इस्तीफा/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी थी। क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार इसे स्वीकार करने से पहले प्रतिवादी बैंक ने याचिकाकर्ता को 13.09.2019 को व्यक्तिगत परामर्श के लिए बुलाया था, जिसमें भी याचिकाकर्ता अपने रुख पर अड़ी रही कि वह प्रतिवादियों के अधीन काम करने का इरादा नहीं रखती है। इसके बाद याचिकाकर्ता के आवेदन पर संबंधित अधिकारियों द्वारा 30.09.2019 को विधिवत विचार किया गया, जो कि 03.10.2019 की प्रभावी तिथि से काफी पहले है। याचिकाकर्ता के इस्तीफे की स्वीकृति दिनांक 30-09-19 से प्रभावी 03.10.2019, याचिकाकर्ता को 09.10.2019 को दी गई, जिसे उसने विधिवत स्वीकार कर लिया। इसलिए कुछ दिन बीतने के बाद यानी 11.10.2019 को पहली बार याचिकाकर्ता ने अपना इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे उस समय तक



Neutral Citation
2021:CGHC:6176

14

स्वीकार कर लिया गया था और उसे प्रभावी कर दिया गया था। एक बार जब इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था और उसे प्रभावी कर दिया गया था। इस प्रकार याचिकाकर्ता उसके बाद इस्तीफा वापस लेने की मांग करने की स्थिति में नहीं होगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और इस कोर्ट ने बार-बार दोहराया है।

25. उक्त कारणों से, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा त्यागपत्र अनुलग्नक पी-1 की स्वीकृति के आदेश में हस्तक्षेप की मांग करते हुए कोई मजबूत मामला नहीं बनाया गया है और इसलिए रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

सही/-
पी. सैम कोशी
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool:
SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।





Neutral Citation
2021:CGHC:6176

15

